



प्रेस नोट

थाना - धौलाना

दिनांक 21-09-2021

थाना धौलाना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 192/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौलाना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 192/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना धौलाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अकबर पुत्र युनुस निवासी मौ0 नरेलेवाला ग्राम मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

➤ एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।

2-कां0 270 तरुण मलिक थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।

3-कां0 272 अनुज कुमार थाना धौलाना जनपद हापुड़ ।